आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

वाद संख्या–CRM 21/2009–10

बालरूप साह बनाम सरकार

23/12/2013

:– आदेश –:

अपीलकर्त्ता श्री बालरूप वल्द स्व0 लक्ष्मी साह, ग्राम- जौकटिया टोला नया डीह, थाना- मझौलिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के ज्ञापांक 1428/आ0, दिनांक 24.12.2009 के द्वारा निर्गत उस आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है जिसके द्वारा जनवितरण विक्रेता, पंचायत- जौकटिया प्रखंड-मझौलिया के अनुज्ञप्ति संख्या 55/07 को रद्द कर दिया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत राज जौकटिया, प्रखंड मझौलिया के ग्रामीण जनता इफतेखार अहमद एवं अन्य 149 तथा शंभू प्रसाद सिंह, पूर्व जिला पार्षद के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को आवेदन-पत्र दिया गया कि जौकटिया पंचायत के जनवितरण प्रणाली विक्रेता बालरूप साह के द्वारा BPL एवं अन्तोदय का खाद्यान्न वर्ष 2008-09 का उठाव कर काला बाजारी कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा दूसरी जॉच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा कराई गई। उन्होने प्रतिवेदित किया है कि वे दिनांक 01.12.2009 को जॉच की। जॉच के समय कार्य अवधि मे अपीलकर्त्ता बालरूप साह की दुकान बंद पाई गई। उन्होने यह भी प्रतिवेदित किया है कि जॉच में यह पाया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा माह-2009 के BPL खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण व्ययगत हो गया तथा विक्रेता अगस्त एवं सितम्बर 2009 माह के BPL खाद्यान्न का उठाव कर उसे विचलन कर दिया गया। उक्त अनियमितताओं के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को दिनांक 02.12.2009 को निलंबित कर दिया एवं अपीलकर्त्ता से कारण पृच्छा की मांग की गई लेकिन अपीलकर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने निलंबित विक्रेता के अनुज्ञप्ति को दिनांक 24.12.2009 को रद्द कर दिया। इसी के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता का दावा निम्नांकित है :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मझौलिया के गलत प्रतिवेदन के आधार पर उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है।

2. उन्होने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष कहा था कि बीमार पड़ जाने के कारण कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया।
3. इनका कहना है कि उन्होने आवंटित BPL खाद्यान्न जुलाई 2009 का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया था जिसके कारण उन्हे राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न प्राप्त हुआ जिसका वितरण उन्होने 349 BPL कूपन धारकों के बीच किया था।
4. इनका कहना है कि मई 2009 में लोक सभा का निर्वाचन हुआ जिसके कारण बैंक के सभी कर्मचारी व्यस्त थे जिसके कारण उन्हे BPL खाद्यान्न का आवंटन ही प्राप्त हुआ और न उन्होने बैंक ड्राफ्ट ही जमा किया। उन्होने माह जून 2009 में बैंक ड्राफ्ट जमा किया जिसका सामंजन उन्होने माह जुलाई 2009 के आवंटन से किया।
5. इनका कहना है कि वे BPL खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक माह में जमा कर देते है और इसी के अनुरूप उन्होने माह जुलाई 2009 का बैंक ड्राफ्ट जमा किये थे एंव गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर BPL परिवार के कूपन धारकों में खाद्यान्न का वितरण किया है।
6. इनका यह भी कहना है कि उन्होने माह सितम्बर 09 में उपावंटित खाद्यान्न के लिए बैंक ड्राफ्ट जॉच किये थे लेकिन राज्य खाद्य निगम द्वारा उन्हे अभी तक खाद्यान्न की आपूर्त्ति नहीं की गई।

अर्पालकर्त्ता का कहना है कि उन्होने अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को उपरोक्त आशय का कारण पृच्छा दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने इसकी जॉच कराई थी इसके बावजूद उनके अनुज्ञप्ति को पहले निलंवित कर दिया गया फिर रद्द कर दिया गया। अर्पालकर्त्ता ने अपने उपर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बतलाते हुए कहा है कि उन्होने समय पर बैंक ड्राफ्ट जमा किया है एवं BPL के कूपन धारकों के बीच खाद्यान्न का सही तरीका से वितरण किया है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपने आदेश में लिखा गया है कि विक्रेता बालरूप साह निलंबित जनवितरण प्रणाली द्वारा आज तक अपने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने इसे अपने आदेश का उल्लंघन मान कर एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मझौलिया के अनुशंसा के आलोक में अर्पालकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा पारित आदेश में आरोप एवं उन्हे सत्य पाये जाने के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है। न्यायालय यह पाता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया का आदेश मुखर आदेश नही है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल

पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 02.12.2009 को रद्द करते हुए अभिलेख को इस निदेश के साथ उन्हे रिमांड किया जाता है कि अपीलकर्त्ता से कारण पृच्छा प्राप्त कर एवं उन्हे सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान कर आरोप के सभी बिन्दुओं पर मुखर आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दंडाधिकारी, 23/12	जिला दंडाधिकारी, 23/12
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	पश्चिम चम्पारण, बेतिया।